तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.08.2019	प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी मे लिये जाने बाबत निवेदन किये जानें पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थी के अधिवक्ता भी उपस्थित आकर प्राथना पत्र पर NO Objection करने पर उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी रणजीत कौर आदि द्वारा दिनांक 27.05.2019 को जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन कि राजस्व वाद सख्या 384/2017 में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 को अपास्त फरपाये जावे। व अप्रार्थीगण को जबाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में कोई आपत्ति जाहीर नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली संख्या 384/2017 अनवान मदनलाल बनाम जगदीशराय आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2018 को अपास्त करते हुए पत्रावली को जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर पुनः नये नम्बर पर दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल वाद में भी शामिल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर की जाकर जिला अभिलेखार से प्राप्त पत्रावली के संलग्न किया जावे। मूल पत्रावली जिला अभिलेगार से प्राप्त करने हेतु पत्र जारी हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.05 13:40:09 IST
Reason: SelfAttested